फर्द अहकाम
( नियम 26)

# अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर
## जिला हनुमानगढ

**कमला** बनाम **मुखराम आदि**

किस्म मुकदमा 88 ,188 आर.टी.एक्ट. नम्बर 250 सन–2019

| तरीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज | नम्बर व तारिख |
|---|---|---|
| 29..03.2019 | वादी अभिभाषक की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15.05.2019 को पेश हो। | |
| 15/5/19 | पत्रावली पेश नहीं पीठासीन पी.ओ. अन्य कार्य के कारण मौजिल वादी उपस्थित प्रतिवादीगण तलबी हेतु 20.5.19 | |
| 20/5/19 | अन्य कार्य के कारण मौजिल वादी उपस्थित प्रतिवादीगण राजी० तलबी हेतु 28.5.19 | |
| 28/5/19 | मौजिल वादिया उपस्थित। वादिया स्वयं उपस्थित। वादिया के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हम पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है तथा अब हम वाद नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वाद वादिया खारिज फरमाया जावे। वादिया के निवेदन पर वाद वादिया खारिज किया जाता है। वादिया की पहिचान को मद्देनजर लिखी। कोर्ट फीस रद्द की है। पत्रावली नस्ल से काम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। | अति. कमला पर चालवली 28/5/19 |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर